

मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय

//आदेश //

भोपाल दिनांक

01-7-15

~~06/2015~~

कमांक-एफ-3/34/2015/18-5:-राज्य शासन एतद् द्वारा **Ease of Doing Business** के लिये प्रदेश के समस्त नगर निगम क्षेत्रों में मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के अंतर्गत कालोनी के ले-आउट की विकास अनुज्ञा तथा मध्यप्रदेश नगर पालिक अधिनियम 1956 के तहत बिल्डिंग परमिशन तथा मध्यप्रदेश नगर पालिका (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निबर्धन तथा शर्तों) नियम 1998 के तहत विकास की अनुमति प्रदान करने की **Single Door** प्रणाली के तहत नजूल एन ओ सी प्राप्त करने के लिये आवेदक को बाध्य नहीं किया जायेगा और न ही उसे प्रस्तुत करने के निर्देश दिये जायेगे, नजूल एन ओ सी उपलब्ध कराने का दायित्व पूर्णतः कालोनी सेल में उपस्थित में कलेक्टर कार्यालय से नजूल अनापत्ति प्रस्तुत करने वाले विभागीय प्रतिनिधि का होगा तथा विभागीय प्रतिनिधि से नियत अवधि में इस संबंध में प्रतिवेदन लिया जायेगा ।

नगर	था	925
आंक	क्र	84/7/15
दिनांक		
सक		
अधिक		

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(एस के मुदगल)
उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग
भोपाल दिनांक 01/07/2015

क-एफ-3/34/2015/18-5
प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त गृह निर्माण मण्डल म0 प्र0 भोपाल ।
2. आयुक्त नगर तथा ग्राम निवेश म0 प्र0 भोपाल ।
3. आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास मध्यप्रदेश भोपाल ।
4. समस्त कलेक्टर की और इस लेख के साथ प्रेषित है कि अधीनस्थ कलेक्टर कार्यालय से नजूल अनापत्ति एवं व्यपवर्तन अनुमति प्रदान करने हेतु प्राधिकृत अधिकारी को तदनुसार निर्देशित करने का कष्ट करें ।
5. आयुक्त, समस्त नगर पालिक निगम म0 प्र ।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी समस्त विकास प्राधिकरण म0 प्र0 ।

6.7.15

RA.

L2/186
8/7/15

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन

आवास एवं पर्यावरण विभाग